

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1515/2009/अलवर

मैसर्स अशोक लीलैण्ड लि.,
एम.आई.ए., अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

प्रभारी अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग, (दस्तावेज संग्रहण केन्द्र),
नौगोंवा, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 624/उपा/अपील्स/अल/आरएसटी/99-00/09 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभारी अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, (दस्तावेज संग्रहण केन्द्र), नौगोंवा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.1999 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 54,732/- को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाहन संख्या आरजे-02/जी-1081 के जरिये रूपये 1,82,437/- की बार एवं रॉड्स का परिवहन फरीदाबाद से अलवर अपीलार्थी व्यवहारी को किया जा रहा था। वाहन में परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ संलग्न घोषणा-पत्र एसटी-18ए क्रमांक 988/22 में माल की वास्तविक कीमत के स्थान पर जोबवर्क की राशि अंकित किये जाने पर, सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन मानते हुए वाहन में परिवहनित माल कीमतन रूपये 1,82,437/- पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 54,732/- आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2009 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2


4. अपीलार्थी-व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत विधिक घोषणा-पत्र एसटी-18ए में लिपिकीय भूल के कारण माल की कीमत के स्थान पर जोबवर्क चार्ज की राशि अंकित कर दी गई, जिसके पीछे अपीलार्थी व्यवहारी की करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। इस पर सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि न्यायविरुद्ध है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 11.11.2010 अपील संख्या 239/2010/अलवर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स यूनिवर्सल एलॉयज, भिवाडी एवं [2004] 19 Sales Tax Today 170 (RTB) की प्रतियाँ पेश की, एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र एसटी-18ए, अपूर्ण होने के कारण यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी से आच्छादित है। अतः अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। उन्होंने अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि माल का परिवहन लुधियाना से फरीदाबाद जोबवर्क होने के उपरान्त अलवर के लिए किया जा रहा था। वाहन में परिवहनित माल से संबंधित सभी दस्तावेज बिल, बिल्टी, घोषणा-पत्र एसटी-18ए एवं जॉबवर्क से संबंधित सभी दस्तावेज जॉच के समय दस्तावेज संग्रहण केन्द्र, नौगोंवा पर वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये थे। घोषणा-पत्र एसटी-18ए में जॉब वर्क की राशि अंकित हो जाने के संबंध में कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 11.11.2010 अपील संख्या 239/2010/अलवर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स यूनिवर्सल एलॉयज, भिवाडी एवं [2004] 19 Sales Tax Today 170 (RTB) निर्णय उद्धरित किये गये हैं, जिसके अनुसार जॉब वर्क पर घोषणा-पत्र एसटी-18ए की आवश्यकता नहीं मानी गई है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा सिद्ध नहीं होती है। प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.09.2009 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(खेमराज)
अध्यक्ष